की क्रम तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
06.08.19		

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह– आर्बिट्रेटर, धनबाद
आर्बिट्रेशन केश नं0–56/2019

सुभद्रा देवी –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचांची अंचल अन्तर्गत मौजा–भंवरदाहा, थाना नं0–30, खाता नं0–42 प्लॉट नं0–614, रकवा–0.02 ए0 एवं खाता नं0–19, प्लॉट नं0–615, रकवा–0.0298 ए0 (कुल रकवा–0.0498 ए0) भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीयउच्च पथ–02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि अर्जित भूमि पर खाने पीने का होटल/व्यवसाय स्थल है भूमि का वर्तमान बाजार दर के अनुसार राशि गणना कर भुगतान नहीं किया गया है।भूमि एवं संरचना का पुर्नगणना कर मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया भूमि एवं संरचना का नियमानुसार राशि गणना कर सही मुआवता राशि का भुगतान किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन0एच0एवआई0 को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जांच करते हुए भूमि एवं अवस्थित संरचानाओं का पुर्नमूल्यांकन करते हुए यदि देय हो तो मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदानुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(हस्ताक्षर) 6.8.19
अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 6.8.19
अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।